

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय को
सम्बोधित करें, अन्य किसी
अधिकारी के नाम से नहीं

पत्र संख्या :

दिनांक :

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ-226007

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष, कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, विधि, योगा व ललित कला संकाय ल0वि0वि0।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, विधि, योगा व ललित कला संकाय ल0वि0वि0।
3. समस्त निदेशक/समन्वयक, स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम ल0वि0वि0।
4. समस्त प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य/ प्रधानाचार्या सहयुक्त/ सम्बद्ध महाविद्यालय, लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु पुनः पोर्टल खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में उपसचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 42/2023/1051/26-3-2023-C.No.1513982, दिनांक 10 अप्रैल 2023, द्वारा निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत लम्बित पत्रों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवरण/समय सारणी के अनुसार पोर्टल खोला जा रहा है -

क्रम सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	प्रस्तावित समयावधि
1.	शिक्षण संस्थान द्वारा ऑन-लाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों को आवेदन ऑन-लाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	17 अप्रैल 2023 से 19 अप्रैल 2023 तक
2.	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11 एवं 12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफेलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑन-लाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	20 अप्रैल 2023 से 01 मई 2023 तक
3.	संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र/संस्थाओं के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं ऑन-लाइन आवेदनों में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ऑन-लाइन ठीक करके संस्था में जमा करने हेतु प्रिंट निकालना।	03 मई 2023 से 10 मई 2023 तक।
4.	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑन-लाइन आवेदन पत्र की हार्ड-कॉपी समस्त वांछित संलग्नों सहित शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना तथा छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों को विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके ऑन-लाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	03 मई 2023 से 13 मई 2023 तक।

अतएव उक्त विवरण/समय सारणी के अनुसार अपने स्तर से प्रचार-प्रसार करना एवं कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(संजय मेधावी)
कुलसचिव

Scst/8045-48

पत्र संख्या : दिनांक : 13/4/23

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. डीन अकैडमिक, ल0वि0वि0।
3. इन्चार्ज वेबसाइट ल0वि0वि0।
4. निदेशक, आई0पी0पी0आर0, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को समस्त दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने के आशय के साथ प्रेषित।

82
13.04.23
(शशि प्रभा तिवारी)
सहायक कुलसचिव (छात्रवृत्ति)

संख्या-42/2023/1051/26-3-2023-C.No-1513982

प्रेषक,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 10 अप्रैल, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु पुनः पोर्टल खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5607/स0क0/शिक्षा-अ/2/76/2022-23 दिनांक 28.03.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु पुनः पोर्टल खोले जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावित समय-सारिणी को जारी करने के लिए शासनादेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कतिपय शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र अग्रसारित न होने, विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा छात्रों/संस्थाओं की प्रमाणिकता को सत्यापित न किये जाने आदि कारणों से छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित डाटा पर कोई कार्यवाही सम्भव नहीं होने की स्थिति में, भारत सरकार की अनापत्ति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति छात्रों के निम्नलिखित विवरण के अनुसार पोर्टल खोले जाने हेतु समय-सारिणी तैयार की गयी है:-

- 1- शिक्षण संस्था स्तर पर अग्रसारण न होने के कारण लम्बित आवेदन।
 - 2- परीक्षाफल विलम्ब से घोषित होने के कारण लम्बित आवेदन।
 - 3- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी स्तर पर सीट की संख्या/छात्रों की प्रमाणिकता का सत्यापन न होने के कारण लम्बित आवेदन।
 - 4- पी0एफ0एम0एस0 पर पेन्डिंग/रिजेक्शन।
- 3- प्रदेश के अन्दर एवं बाहर के दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों के लिए प्रस्तावित समय-सारिणी निम्नवत है:-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	प्रस्तावित समयावधि
01	शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाईन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	17 अप्रैल 2023 से 19 अप्रैल 2023 तक
02	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाईन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	20 अप्रैल 2023 से 01 मई 2023 तक
03	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	20 अप्रैल 2023 से 02 मई 2023 तक

04	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लाक किया जाना।	03 मई 2023 से 01 जून 2023 तक
05	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र/संस्थाओं के लागिण पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा आनलाइन ठीक करके संस्था में जमा करने हेतु प्रिन्ट निकालना।	03 मई 2023 से 10 मई 2023 तक
06	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना तथा छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों को विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	03 मई 2023 से 13 मई 2023 तक
07	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	15 मई 2023 से 24 मई 2023 तक
08	सन्देहास्पद डाटा के कारण पर उत्तर देने हेतु एन0आई0सी0 द्वारा छात्र/संस्था/जिला समाज कल्याण अधिकारी की लागिण पर प्रदर्शित कराना तथा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों का शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लाक किया जाना।	25 मई 2023 से 01 जून 2023 तक
09	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	02 जून 2023 से 08 जून 2023 तक
10	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड एवं एन0पी0सी0आई0 से मैड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित किया जाना।	12 जून 2023 तक
11	भारत सरकार को 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि भुगतान हेतु डाटा शेयर करना।	15 जून 2023 तक

नोट:-

- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद/उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।
- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत भरना अनिवार्य होगा।
- निम्न स्थिति उत्पन्न होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन को केवल निरस्त किये जाने का विकल्प दिया जायेगा:-
 - दिनांक 10-05-2023 तक घोषित परीक्षाफल को आवेदन में न भरने पर।
 - सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के स्तर से घोषित/अपलोड परीक्षाफल से आवेदन में छात्र द्वारा भरे गये परीक्षाफल का मिलान न होने अथवा परीक्षाफल घोषित न होने पर।
 - विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था/छात्र को सत्यापित न किये जाने पर।
 - पी0एफ0एम0एस0 द्वारा निरस्त किये जाने पर।
- छात्र द्वारा पूर्व में किये गये आवेदन में आवश्यक संशोधन के उपरांत संस्था स्तर से पुनः अग्रसारित न होने पर संशोधन मान्य नहीं होगा।

5- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2022-23 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

Signed by रमेश चन्द्र
विद्या रमेश चन्द्र तिवारी
Date: 10-04-2023 17:29:50
Reason: Approved

प्र0सं0- 42/2023/1051(1)/26-3-2023 तदिनांक:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 रमेश चन्द्र तिवारी)
उप सचिव।